भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

आज़ादी का अमृत महोत्सव

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई

फ़ाइल: एमटीटी-11/1/2024-एमटीटी

दिनांक: 20.06.2024

वर्ष 2024 का नौमनि परिपत्र संख्या 14

विषय: स्पेस /स्लॉट व्यवस्था वाली टनेज टैक्स कॉम्पनियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 (निर्धारण वर्ष 2024-25) हेतु शुद्ध टनभार कारक की गणना।

भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा दिनांक 12-12-2007 को जारी की गई राजपत्र अधिसूचना द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 वीयू के अध्याय XII-जी के अंतर्गत टनभार कर योजना का विकल्प चुनने वाली पोत परिवहन कंपनियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। उक्त अधिसूचना के खंड 1 स्पष्टीकरण ग (2) में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि -

i. स्पेस चार्टर्स या स्लॉट चार्टर्स के मामले में, श्रम दिवसों की संख्या की गणना नेट टनभार फैक्टर द्वारा टनभार कर कंपनी के स्लॉट/स्पेस चार्टर्स के नेट टनभार को विभाजित करने के उपरांत आनेवाले परिणाम को उन दिनों की संख्या से गुणा करके की जानी है जिनके लिए ऐसे पोतों को वित्तीय वर्ष के दौरान टनभार कर कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है और इसमें तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की जो कमी होगी वह शामिल होगी और जिसे दिशानिर्देशों के खंड 15 के अनुसरण में आगे ले जाया जाएगा।

इस खंड के प्रयोजन के लिए, स्लॉट/स्पेस चार्टर्स का नेट टनेज है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 वीजी के स्पष्टीकरण के माध्यम से आधिकारिक राजपत्र में जारी अधिसूचना के तहत गणना की गई गणना के अनुसार नेट टनेज होगा। इस संबंध में सीबीडीटी की अधिसूचना 29-3-2005 को जारी की गई थी।

ii. 'नेट टनेज फैक्टर' प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए नौवहन महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित कारक होगा, जिसकी गणना पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीकृत सभी योग्य पोतों के कुल शुद्ध टनभार के रूप में की जाएगी, जिसे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में ऐसे जहाजों की कुल संख्या से विभाजित किया जाएगा और नौवहन महानिदेशालय द्वारा 60 दिनों के भीतर अधिसूचित किया जाएगा।

2. की गई गणना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 (निर्धारण वर्ष 2024-25) के लिए शुद्ध टनभार कारक 9244 है। इसका उपयोग वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ऐसी व्यवस्थाओं के लिए न्यूनतम प्रशिक्षण आवश्यकता का पता लगाने के लिए सरकारी राजपत्र में जारी सीबीडीटी अधिसूचना दिनांक 29.03.05 के अंतर्गत परिकलित गणना किए गए स्लॉट/स्पेस चार्टर्स के शुद्ध टन भार के साथ मिलकर किया जाए .

(डॉ सुधीर एस कोहकड़े)
उपनौवहन महानिदेशक

(अस्वीकरण -हिंदी या अंग्रेजी पाठ में असमानता होने या कानूनी विवाद होने की स्थिति में मूल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा)